

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2534] No. 2534] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 12, 2014 / अग्रहायण 21, 1936

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 12, 2014/AGRAHAYANA 21, 1936

श्रम और रोजगार मंत्रालय

विश्वना

नई दिल्ली, 12 दिसंबर, 2014

का.बा. 3165(ब).—कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (कर्मचारी भविष्य निक्षि) का पुनर्गठन कर इस मंत्रालय की भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 23 मई, 2013 की अधिसूचना सं. का.बा.1330(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. उक्त अधिसचना में निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

अध्यक्ष

(क) धारा 5क की उप-धारा(1) के खण्ड (क) के अंतर्गत नियुक्त

त्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भारत सरकार, नई दिल्ली।

<u>उपाध्यक्ष</u>

2 सचिव, श्रम एवं रोजगार भारत सरकार, नई दिल्ली।

सदस्य

- (ख) धारा 5क की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि
- 3 रिक्ता

[सं. वी.-20012/1/2013-एसएस-॥]

पार्थ प्रीतम मित्रा, प्रधान श्रम एवं रोजगार सलाहकार

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2014

G.S.R. 3165(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5A of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) the Central Government hereby reconstitutes the Central Board of Trustees (Employees' Provident Fund) and makes the following amendment in this Ministry's Notification published in the Gazette of India having No. S.O. 1330(E) dated 23rd May, 2013.

- 2. In the said Notification the following entries shall be substituted namely.-CHAIRMAN
- (a) Appointed under clause (a) of sub-section (1) of Section 5A.

Minister of State for Labour & Employment (Independent Charge) Government of India, New Delhi.

VICE-CHAIRPERSON

 Secretary, Labour & Employment Government of India, New Delhi.

MEMBERS

- (b) Representatives of Central Government under clause (b) of sub-section (1) of Section 5A.
- 3. Vacant

[No. V-20012/1/2013-SS.III]

PARTHA PRATIM MITRA, Principal Labour and Employment Advisor